पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 93/17

अनवान :

1. बंशीलाल पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. भजनलाल पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. चन्दूराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. फुलीदेवी पुत्री चन्दुराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
3. राजबाला पुत्री चन्दुराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री दलबीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने एवं वाद वादीगण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/12/17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 93/17

अनवान :

1. बंशीलाल पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. भजनलाल पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. चन्दूराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. फुलीदेवी पुत्री चन्दुराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
3. राजबाला पुत्री चन्दुराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री दलबीर बैनीवाल : **वादीगण**
निर्णय **दिनांक :** 15.12.17

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 15/18 के मु0नं0 37 के किला नं0 3 ता 8, 15 की 1.771 है0 मु0नं0 38 के किला नं0 1, 10,11 की 0.759 है0 कुल 2.530 है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी चन्दुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि वादीगण के दादा नन्दराम की खातेदारी हुआ करती थी। नन्दराम के देहान्त पर जो वादभूमि प्रतिवादी चन्दुराम के नाम से दर्ज हुई है वह वादीगण एवं प्रतिवादी चन्दुराम, फुलीदेवी व राजबाला को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हुई थी। परन्तु विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी चन्दुराम ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। वादभूमि के सम्बन्ध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सैटलमेन्ट भी हो गया था जिसमें वादभूमि जो प्रतिवादी चन्दुराम के नाम दर्ज है, वह वादीगण एवं प्रतिवादी चन्दुराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई तथा वादभूमि में प्रतिवादी फुलीदेवी व राजबाला ने अपने हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी चन्दुराम के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी चन्दुराम के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने इकबालदावे पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

साक्ष्य वादीगण में वादी बंशीलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 15/18 सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 1 व 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी खसरा गिरदावरी चक 1 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2070 प्रदर्श 3 व 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 1 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5 व 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 1 जेजीडब्लयु में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में विवादित कृषि भूमि उसके दादा नन्दराम के देहान्त के बाद विरास्तन वादीगण के पिता चन्दूराम के नाम दर्ज होना अंकित किया है। परन्तु वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विवादित आराजी दादालाई पैतृक साबित हो तथा प्रस्तुत दस्तावेज यथा् सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी खसरा गिरदावरी चक 1 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2070 प्रदर्श 3 व 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 1 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5 व 6 से भी स्पष्ट नहीं होता है कि विवादित कृषि भूमि वहीं आराजी है जिसकी बाबत वादीगण ने प्रदर्श 3, 4, 5, 6 प्रदर्शित करवाये है।

अत : वाद वादीगण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़